उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1

संख्या: 2/2017/बी-1-323 /दस-2017-एम-39/2016

लखनऊ: दिनाँक: 03 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य में केन्द्रीय योजनाओं (सी.पी. / सी.ए.एस.पी.) को पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) के द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2016/बी-1-2034/दस-2016-एम-39/2016 दिनाँक 29 अगस्त, 2016 द्वारा गठित स्टेट एडवाइजरी ग्रुप को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है -

1.	अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, उ.प्र.शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र.शासन	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ.प्र.शासन	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र.शासन	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र.शासन	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ.प्र.शासन	सदस्य
8.	निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ	सदस्य
9.	राज्य नोडल अधिकारी (पी.एफ.एम.एस.)-उत्तर प्रदेश, भारत सरकार	सदस्य-सचिव

इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार गठित स्टेट एडवाइजरी ग्रुप द्वारा केन्द्रीय योजनाओं को पी.एफ.एम.एस. के द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु समय-समय पर समीक्षा की जायेगी एवं राज्य सरकार की योजनाओं को पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से कार्यान्वित किये जाने हेतु अपनी संस्तुति दी जायेगी।

संलग्नक: यथोपरि ।

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव ।

संख्या: 2/2017/बी-1-323(1)/दस-2017-एम-39/2016, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र.शासन ।
2 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ.प्र.शासन ।
3 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र.शासन ।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन ।
5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र.शासन ।
6 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ.प्र.शासन ।
7 निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8 श्री आशीष कुमार सिंह, निदेशक (वित्त), सी.पी.डब्ल्यू.डी. एवं राज्य नोडल अधिकारी (पी.एफ.एम.एस.), उत्तर प्रदेश, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या-पी.एफ.एम.एस./एस.पी.एम.यू./यू.पी./एल.के.ओ./23 दिनाँक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में।

आज्ञा से,

मुकेश मित्तल
सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in